(3)

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक तारीख.....तक

जिला.....मधुबनी.....संख्या– 14 सन् 2019–20

केष का प्रकार .....बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 की धारा–9 के अंतर्गत जमाबंदी रद्दीकरण

अर्जीकार–अखिलेश कुमार झा

प्रतिपक्षीः– अंचल अधिकारी, लौकही।

आदेष का कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर अर्जीकारः– अखिलेश कुमार झा पिता स्व0 रामनारायण झा ग्राम–झिटकी बनगामा थाना–लौकही, जिला–मधुबनी। प्रतिपक्षीः– अंचल अधिकारी, लौकही।	आदेश पर की गई कार्रवाई
11.11.19	प्रस्तुत वाद आवेदक के आवेदन पर प्रारम्भ किया गया। पक्षकारों को अपना–अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया। आवेदक ने सी0एस0खाता संख्या–1553 खेसरा संख्या–6970 के आंशिक रकवा का गलत ढ़ंग से कायम जमाबंदी संख्या–128 को रद्द करते हुये अनुसूची–1 में अंकित भूम का आवेदक के नाम जमाबंदी कायम करने का अनुरोध किया है। आवेदक ने उक्त वाद में अंचल अधिकारी को प्रतिपक्षी बनाया। अंचल अधिकारी लौकही को पक्ष रखने हेतु सूचना दी गई किन्तु अंचल स्तर से कोई पक्ष प्रस्तुत नहीं हुआ। वाद को आदेशार्थ रखा गया। **आवेदक के कथन का मुख्य अंशः–** 1– आवेदन में उल्लेखित अनुसूची–1 में अंकित भूमि शिवनन्दन झा को भगवानी पंजाबी एवं अन्य से निबंधित केवाला के द्वारा दिनांक–12.03.1932 में हासिल हुआ। शिवन्दन झा यशोधर झा के चचेरा भाई थे। 2– शिवनन्दन झा एवं यशोधर झा के बीच आपसी बटवारा में उक्त भूमि यशोधर झा के हिस्से में आयी जो एक मात्र पुत्र रामनारायण झा को छोड़कर स्वर्गवासी हो गये। अनुसूची–1 में अंकित भूमि रामनारयण झा के दखल कब्जा में आया। रामनारायण झा अपने दो पुत्र अखिलेश कुमार झा एवं अरिमेश कुमार झा को छोड़कर स्वर्गवासी हो गये। तदुपरान्त दोनों पुत्रों को उक्त भूमि हिस्से की अन्य भूमि के साथ दखल कब्जा में आई। 3– आवेदक अपने संयुक्त परिवार के कर्ता होने के नाते उक्त वाद अनुतोष प्राप्त करने हेतु इस न्यायालय में दायर किये। **प्रश्नगत भूमि का नया सर्वे खतियान आवेदक के पिता के नाम बना।** 4– आवेदन में अंकित अनुसूची–1 में अंकित भूमि का कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान पहारी केवट के नाम से बना। शिवनारायण झा के भेण्डर ने पहारी केबट के बंशज से प्रश्नगत भूमि कय किया जिसका भूतपूर्व जमींदार के सिरिस्ता में दाखिल खारिज कायम हुआ। 5– **अनुसूची–1 में अंकित भूमि ग्यारह डिसमल भूमि का कोशी तटबंध निर्माण हेतु बिहार सरकार द्वारा अर्जन किया गया जिसका अवार्ड आवेदक के दादा यशोधर झा के नाम से बना एवं मुआवजा का भुगतान हुआ। अर्जन के बाद अनुसूची–2 में अंकित भूमि उनके हिस्से में बचे जो आवेदक के दखल में है।** 6– उपरोक्त भूमि की जमाबंदी अंचल सिरिस्ता में ढ़लाई केवट पिता पहारी केबट के नाम से गलत ढ़ंग से कायम कर दिया गया जबकि राज सिरिस्ता में उनके	

पूर्वज के नाम से जमाबंदी कायम था। जमींदारी उन्मूलन के बाद उसे कन्टीन्यू नहीं कर दूसरे के नाम जमाबंदी कायम कर दिया गया जबकि प्रश्नगत भूमि की बिक्री न तो उनके पूर्वज और न ही उनके द्वारा की गई।

7– पहारी केवट के परिवार के अन्य अजनवी व्यक्ति , ढ़लाई केवट ने उक्त भूमि का दावा करना प्रारम्भ कर दिया। अंचल अमला के मेल में लाकर जमाबंदी संख्या–128 ढ़लाई केवट के नाम से कायम कर दिया।

8– आवेदक के आवेदन को स्वीकार करते हुये प्रश्नगत भूमि का गलत ढ़ंग से कायम जमाबंदी संख्या–128 को रद्द किया जाय।

निष्कर्षः–

प्रतिपक्षी अंचल अधिकारी, लौकही की ओर से कोई भी पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। आवेदक के कथन का मुख्य बिन्दु है कि **आवेदन में अंकित अनुसूची–1 में अंकित भूमि में से ग्यारह डिसमल का कोशी तटबंध निर्माण हेतु बिहार सरकार द्वारा अर्जन किया गया जिसका एवार्ड आवेदक के दादा यशोधर झा के नाम से बना एवं मुआवजा का भुगतान हुआ।** अर्जन के बाद अनुसूची–2 में अंकित भूमि उनके हिस्से में बची जो आवेदक के दखल में है। अर्जन की प्रकिया के अनुसार प्रश्नगत भूमि आवेदक के पूर्वज की थी। आवेदक का कथन है कि प्रश्नगत भूमि न तो उनके पूर्वज और न ही आवेदक कोई बिक्रय किया तो वैसी परिस्थिति में उक्त भूमि का दूसरे के नाम कायम जमाबंदी संदेहास्पद है।

ऐसी स्थिति में मौजा–बनगामा, टोले झिटकी, अंचल–लौकही, जिला–मधुबनी का कैडेस्ट्रल सर्वे खाता–1553 खेसरा –6870 का कायम जमाबंदी संख्या–128–बनाम–ढ़लाई केवट को संदेहास्पद पाते हुये रद्द किया जाता है।

अंचल क्षेत्रान्तर्गत पड़नेवाली भूमि के राजस्व अभिलेखों के संरक्षक अंचल अधिकारी होते हैं। आदेश की प्रति अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु अंचल अधिकारी, लौकही को भेजें।

अंचल अधिकारी प्रश्नगत भूमि का जॉचोपरान्त विधिवत् फ्रेश दाखिल खारिज के माध्यम से जमाबंदी कायम करेंगे।

आदेश से विक्षुब्ध पक्ष सक्षम न्यायालय का शरण ले सकते हैं।

लेखापित

11.11.19

अपर समाहर्ता,
मधुबनी।

11.11.19
अपर समाहर्ता,
मधुबनी।

शुद्धि पत्र

23.11.19

आदेशफलक दिनांक–11.11.19 के आदेश का पारा–2 पर टंकण भूल के कारण खेसरा संख्या–6970 टंकित हो गया है, जबकि आवेदन में भूमि के विवरण में खेसरा **संख्या–6870** है। इसलिए उक्त वाद में पारित उपरोक्त आदेश पारा–2 में उद्धृत भूमि का विवरण यथा संशोधित खेसरा संख्या–**6870** पढ़ा जाये। शेष आदेश यथावत् रहेगा। संशोधित आदेश से संबंधित को अवगत करा दें।

लेखापित

23.11.19
अपर समाहर्ता ,
मधुबनी।

23.11.19
अपर समाहर्ता,
मधुबनी।